न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 44/2021 बउनवानी सियाराम मीना बनाम लो.सू.अधि.एवं उपजिला कलेक्टर वजीरपुर
पुत्र श्री स्व0 श्री प्यारे लाल मीना, निवासी फुलवाडा पेपट तहसील वजीरपुर

GCMS No-2021/85 **On line Appeal No- 321628299008447**

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिश्यिल जज
27.7.2021	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। सहायक लोक सूचना एवं उपजिला कलेक्टर वजीरपुर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 7.4.2021 को लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर वजीरपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः–

प्रार्थी के घर दिनांक 5.4.2021 को सरपंच साहिबा श्रीमति उर्मिला देवी, ग्राम पंचायत फुलवाडा पेपट पुलिस बल के साथ आकर द्वारा बिना किसी अग्रिम सूचना के जेसीबी द्वारा तोड फोड की तथा सरपंच पति एवं ज्येष्ठ द्वारा प्रार्थी की मॉ तथा दादी के हाथ पैर तोडने की धमकी दी गयी है। जिसके संबंध मे निम्न सूचना प्रदान की जावेः–

1. क्या उक्त पुलिस/प्रशासनिक कार्यवाही के बारे मे उपखण्ड अधिकारी वजीरपुर एवं तहसीलदार वजीरपुर अवगत है क्या इस कार्यवाही के लिए संबंधित अधिकारियो की अनुमति ले ली गयी थी। उक्त प्रशासनिक कार्यवाही किस उच्च अधिकारी के आदेशानुसार की गयी इसका आधार क्या है है संबंधित आदेश की प्रति उपलब्ध करावे।
2. पुलिस बल किसके कहने पर किस अधिकारी के आदेश से घरवालो को भय दिखाने डराने धमकाने के लिए आया। संबंधित आदेश की प्रति उपलब्ध करवायी जावें
3. कार्यवाही के लिए आये पुलिस स्टाफ कांस्टेबल, इंस्पेक्टर की कार्यवाही के समय डयूटी कहॉ लगी हुई थी। क्या वजीरपुर पुलिस थाने के मूवमेंट रजिस्टर मे इसकी पुष्टि हुई थी। संबंधित पेज नम्बरों की छायाप्रति उपलब्ध करवायी जावें
4. उक्त कार्यवाही मे प्रयोग हुए जेसीबी के रजिस्ट्रेशन नम्बर उसके मालिक का नाम एवं किस आदेश पर ये जेसीबी तोड फोड मे प्रयुक्त हुई। संबंधित आदेश की प्रति।
5. पुलिस बल के द्वारा यूनिफार्म का प्रयोग घरवालों को डराने धमकाने के लिए किस आधार पर किया गया जिसके कारण घरवालों मे दहशत का माहोल है। घर से निकलने मे आतंकित है जान को खतरा है।
6. सरपंच के द्वारा अपने पति और ज्येष्ठ को उकसाने उनसे सता का दुरूपयोग करने, घरवालो को डराने, धमकाने के लिए प्रयोग किस आधार पर किया जा रहा है।
7. हमारी सुरक्षा के लिए क्या कार्यवाही की गयी है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर वजीरपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर वजीरपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.10.22 16:42:33 IST
Reason: SelfAttested

नियत पेशी पर [illegible] दौराने सुनवायी उपस्थित पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना [illegible] कलेक्टर वजीरपुर [illegible] से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक/सूचना का अधिकार/202[illegible]986 दिनांक 27.7.2021 [illegible]र ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 7.4.2021 के बिन्दु संख्या 1 लगायत 7 मे चाही गयी सूचना प्रश्नात्मक है तथा चाही गयी सूचना का संबंध उपजिला कलेक्टर वजीरपुर के कार्यालय से नही होने के कारण अपीलान्ट को उपलब्ध नही करवायी गयी है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 7.4.2021 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 लगायत 7 में चाही गयी सूचना प्रश्नात्मक है किन्तु कुछ बिन्दुओं की सूचना सामान्य प्रकृति की होने के कारण अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जानी चाहिए थी। उपजिला कलेक्टर वजीरपुर द्वारा अपने जवाब मे अंकित किया है कि चाही गयी सूचना उनके कार्यालय मे संधारित नही है तो अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र तत्समय अधिनियम की धारा 6 (3) के तहत संबंधित लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय को अन्तरित किया जाना चाहिए था जो नही किया गया है ओर ना ही अपीलान्ट को तत्समय वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया है। लोक सूचना अधिकारी का उक्त कृत्य सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के प्रति लापरवाही को दर्शाता है। उक्त संबंध मे लोक सूचना अधिकारी को पुनः निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट द्वारा चाही गयी सूचना से संबंधित घटनाक्रम के संबंध में कोई कार्यवाही बाबत किसी प्रकार का पत्र व्यवहार आपके कार्यालय से किया गया हो तो उसकी प्रति अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी है एवं भविष्य मे उक्त अधिनियम के तहत प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रो का प्राथमिकता से अधिनियम की तय समय सीमा मे निस्तारण करवाया जाना सुनिश्चित करे। साथ ही अपीलान्ट को भी निर्देशित किया जाता है उक्त चाही गयी सूचना संबंधित ग्राम पंचायत एवं थानाधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करने हेतु विधिवत आवेदन पत्र प्रस्तुत करे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।

(राजेन्द्र किशन) 27/7/21
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.10.22 16:42:33 IST
Reason: SelfAttested